UPHM010005022026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
पीठासीन अधिकारी– रनवीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ०कोड– यू०पी० 06459
जमानत प्रार्थना पत्र सं०–242/2026

विकास तिवारी उर्फ कल्लू उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र श्री आदेश तिवारी निवासी अकौना थाना राठ जिला हमीरपुर उ०प्र०।

...............आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य (उ०प्र०) द्वारा ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) हमीरपुर। **........विरुद्ध पक्ष**

मु०अ०सं०–512/2025
धारा–64(2)(M),69,74,352,
351(2),126(2) बी०एन०एस०
व 67 आई०टी०एक्ट व 3(1)(w)(i), 3(2)va,
3(1)द/ध, 3(2)v एससी/एसटी एक्ट
थाना–राठ, जिला– हमीरपुर।

11.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **विकास तिवारी उर्फ कल्लू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–512/2025, धारा–64(2)(M),69,74,352, 351(2),126(2) बी०एन०एस० व 67 आई०टी०एक्ट व 3(1)(w)(i), 3(2)va, 3(1)द/ध, 3(2)v एससी/एसटी एक्ट, थाना–राठ, जिला– हमीरपुर के मामले में प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया मुकदमा सरोज पुत्री हिन्दूपत जाति चमार नि० ग्राम अकौना थाना राठ जनपद हमीरपुर की निवासिनी है। दिनांक 05.11.2025 को समय करीब सुबह 11:00 बजे वह गांव घर से कस्बा राठ बाजार के लिए निकली, गांव के बाहर सूने स्थान पर उसे विकास तिवारी उर्फ कल्लू ने उसे बुरी नीयत से पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा जब उसने छेड़खानी का विरोध किया तो उपरोक्त विकास तिवारी उसे जातिसूचक शब्द चमरिया कहकर गाली–गलौज करने लगा और उसे जान से मारने की धमकी देकर चला गया। विकास तिवारी ने उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। उपरोक्त आधार पर थाना राठ में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि वह पूर्णतया निर्दोष है एवं झूंठा फंसाया गया है। उसके द्वारा वादिया के साथ कोई घटना कारित नहीं की गयी है। वादिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट बहुत विलम्ब से सलाह मशविरा करके लिखाई गई है। उसके द्वारा वादिया की न तो कोई फोटो वायरल की गई है न ही उसने कोई धमकी दी है। बल्कि वादिया द्वारा उसकी व उसकी पत्नी के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसको ब्लेकमेल करती रही एवं बराबर रुपयों की मांग करती रही और लेती रही। वादिया से प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा–180 बी०एन०एस०एस० के बयान तथा धारा 183 बी०एन०एस०एस० के बयानों में काफी अन्तर है तथा 183 बी०एन०एस०एस के बयान उसको गंभीर धाराओं में फसाने के लिए

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.03.13 17:53:57 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

झूठे बयान दिए गए हैं। वादिया द्वारा जानबूझकर आन्तरिक डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया गया है, जिससे सचाई उजागर न हो जावे तथा डाक्टरी परीक्षण में कोई चोट भी नहीं है। उसका काफी रुपये वादिया व उसके पिता के ऊपर उधार है जिसे उसके द्वारा कई बार मांगा गया किन्तु बराबर टाल मटौल करते रहे एवं धमकी दी कि यदि रुपये के लिए परेशान करोंगे तो हरिजन एक्ट व बलात्कार में फंसाकर जेल भिजवा देंगे, जिससे परेशान होकर उसके द्वारा दिनांक 07.06.2024 को जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र दिया था। वादिया व उसके पिता द्वारा रुपये वापस न करने पड़े इसलिए साजिश के तहत फंसाया गया है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र न ही इस माननीय न्यायालय से अथवा न ही माननीय उच्च न्यायालय से निस्तारित हुआ है और न ही विचाराधीन है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौज०) की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादिया मुकदमा को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा उसको डरा धमकाकर जबरन दुष्कर्ष करने तथा बाजार जाते वक्त रास्ते में रोककर छेड़खानी करने व जातिसूचक गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी देने तथा उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की घटना कारित की गयी है। तमामी विवेचना से अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म से सम्बन्धित पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

वादी को नोटिस तामील है, किन्तु वादी उपस्थित नहीं है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर दिनांक 05.11.2025 को समय करीब 11:00 बजे, स्थान बहद ग्राम अकौना, थाना राठ, जिला हमीरपुर में उसको गांव के बाहर सूने स्थान पर बुरी नीयत से पकड़कर छेड़खानी करने तथा जातिसूचक शब्द चमरिया कहकह गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी देने तथा उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देने का आरोप लगाया है।

बयान पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में कथन किया गया है कि दिनांक 05.11.2025 को समय सुबह करीब 11:00 बजे वह अपनी स्कूटी से बाजार करने राठ जा रही थी तभी गांव के बाहर रोड पर विकास तिवारी उर्फ कल्लू मिला और उसे रोककर बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसे छेड़छाड़ करने लगा और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी देकर चला गया और उसी दिन सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील फोटो डाल दिया और उसके भाई को धमकी देता है कि उसकी बहन की शादी नहीं होने देंगे।

बयान पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस० में कथन किया गया है कि **विकास तिवारी ने उसे शादी का झांसा दिया था और उसके साथ पूरी तरह से शारीरिक सम्बन्ध बनाए था।** उसने उसे वे सब करने दिया क्योंकि उसने शादी करने का वादा किया था पर जब उसने **उसकी शादी के बाद उससे अलग रहने का फैसला किया तो वे नहीं माना और लगातार उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाता रहा और धमकाता रहा और उसकी अश्लील फोटो वायरल कर ब्लैकमेल करता रहा है।** दिनांक 05.11.2025 को सुबह 11:00 बजे विकास तिवारी ने उसकी स्कूटी रास्ते में रोककर उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकते करने तथा उसे जाति की गाली देते हुए जान से मारने की धमकी

दी। उसने उसे फोटो को लेकर ब्लैकमेल करके उसकी शादी के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाए है।

अभियुक्त पर पीड़िता को गांव के बाहर सूने स्थान पर बुरी नीयत से पकड़कर छेड़खानी करने तथा जातिसूचक शब्द चमरिया कहकह गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी देने तथा उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देने का आरोप है। पीड़िता ने अपने बयान धारा–180, 183 बी०एन०एस०एस० में बयान दिया है कि अभियुक्त विकास तिवारी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल करने तथा उसकी फोटो दिखाकर उसकी शादी तुड़वाने एवं जातिसूचक शब्द चमार से गाली–गलौज करने तथा उसका रास्ता रोककर अश्लील हरकते करते हुए जान से मारने की धमकी देने तथा स्वयं की शादी के बाद भी ब्लैकमेल करके शारीरिक सम्बन्ध बनाए जाने का कथन है। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने व शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार किए जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा महिला के सम्मान के विरुद्ध किए गए अपराध, अपराध की प्रकृति, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध कर अश्लील फोटों सोशल मीडिया में वायरल करने में अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **विकास तिवारी उर्फ कल्लू** (उपरोक्त) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 242/2026, मु०अ०सं०–512/2025, धारा–64(2)(M), 69, 74, 352, 351(2), 126(2) बी०एन०एस० व 67 आई०टी०एक्ट व 3(1)(w)(i), 3(2)va, 3(1)द/ध, 3(2)v एससी/एसटी एक्ट, थाना–राठ, जिला– हमीरपुर निरस्त किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 11.03.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।